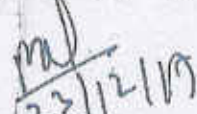


प्रतिबन्ध :-

1. भवन निर्माण पूर्ण होने पर इ0वि0प्रा0 से पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
2. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा।
3. स्थल पर 50 अद्द वृक्षा रोपण करना होगा तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदक/विकासकर्ता का होगा।
4. स्थल पर रैनवाटर हार्वेस्टिंग का कार्य मानक के अनुसार पूर्ण कराकर भू-गर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
5. स्थल पर समस्त आन्तरिक विकास कार्य मानक के अनुसार पूर्ण कराकर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
6. उ0प्रा0 अपार्टमेन्ट एक्ट 2010 एवं रूल्स 2011 का अक्षरशः पालन करना होगा।
7. शासनादेश सं.-164/2015/2581/आठ-1-15-14 बैठक/14 दिनांक 09 अक्टूबर, 2015 के अनुपालन में रूफ-टॉप सोलर प्लान्ट का निर्माण कार्य बाध्यकारी है।
8. उपनिदेशक, अग्निशमन सेवा इलाहाबाद परिक्षेत्र, इलाहाबाद की अनापत्ति दिनांक 16.06.2016, मुख्य अभियन्ता-विद्युत इलाहाबाद दिनांक 24.08.2016 की अनापत्ति दिनांक 25.08.2017 में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा।
9. प्रस्तुत समूह आवास मानचित्र (कुल 160 आवासीय इकाई सुविधा जनक दुकाने एवं जिम) के निर्माण की अनुमति हेतु है, अतिरिक्त इकाइयों का निर्माण पूर्णतया निषिद्ध होगा।
10. अनुमति पत्र में अंकित अन्य प्रतिबन्धों/शर्तों का अनुपालन भी बाध्यकारी होगा।


अवर अभियन्ता
(त0स0)


सहायक अभियन्ता
(त0स0)



इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

(7TH / 8TH Floor, Indira Bhawan, Civil Lines, Allahabad)

पत्रांक : 37/प्र0अ0(त0स0-2)/जोन-5/मु0हा0/2015-16 दिनांक 23/12/2017

अनुमति-पत्र

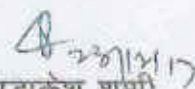
यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर समूह आवास मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री अनुभव वर्मा, डायरेक्टर, सिटीजन इन्फ्रावेन्चर्स प्रा0लि0 द्वारा आराजी संख्या-432मि0 मौजा-कटका परगना झूँसी, तहसील-फूलपुर, जिला इलाहाबाद के जोन संख्या (5) के अन्तर्गत समूह आवास भवन के निर्माण की अनुमति हेतु दाखिल मानचित्र की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय के स्वीकृति/निर्गमन आदेश दिनांक 22-12-2017 के द्वारा निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आर्किटेक्ट/इन्जीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।
4. स्थल पर 50 वृक्ष लगाना होगा तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदक/रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसायटी का होगा।
5. रेनवाटर हार्वेस्टिंग का कार्य मानक के अनुसार पूर्ण कराकर भू-गर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् जमा एफ0डी0आर0 अवमुक्त किया जायेगा।
6. स्थल पर समस्त आन्तरिक विकास कार्य मानक के अनुसार पूर्ण कराकर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। तत्पश्चात् ही आन्तरिक विकास व्यय के सापेक्ष जमा बैंक गारन्टी अवमुक्त की जायेगी।
7. उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट 2010 एवं रूल्स 2011 का अक्षरशः पालन करना होगा।
8. शासनादेश संख्या-164/2015/2581/आठ-1-15-14बैठक/14 दिनांक 09 अक्टूबर, 2015 के अनुपालन में रूफ-टॉप सोलर प्लान्ट का निर्माण कार्य बाध्यकारी है।
9. उ0प्र0 में भू-संपदा (विनियम) अधिनियम 2016 शासन की अधिसूचना संख्या-1458/8-3-16-65 विविध/2016 दिनांक 28.10.2016 लागू हो चुका है, अतएव प्रोजेक्ट को 'रेरा' अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत कराये एवं उ0प्र0 भू-संपदा (विनियम) अधिनियम में निर्धारित नियम एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
10. उपनिदेशक, अग्निशमन सेवा इलाहाबाद परिक्षेत्र, इलाहाबाद की अनापत्ति पत्रांक : 2016/22331/इला0/216/डीडी दिनांक 16.06.2016 में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। (छायाप्रति संलग्न)
11. मुख्य अभियन्ता-विद्युत इलाहाबाद की अनापत्ति पत्रांक संख्या-4097/मु0अ0(वि0)इ0क्षे0/पी-2 (मानचित्र) दिनांक 24.08.2016 में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। (छायाप्रति संलग्न)

12. सन्दर्भित समूह आवास मानचित्र पूर्वोत्तर रेलवे मण्डल रेल प्रबन्धक/इंजी०, वाराणसी के पत्र संख्या-डब्लू/212-1/वारा०/लूज/डब्लू-5 दिनांक 06.12.2017 एवं संलग्नक महा निबन्धक/इन्जी/पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर जो वरिष्ठ मण्डल इन्जीनियर/समन्वय पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी के कम में निर्गत किया जा रहा है।
13. बहुमंजिले भवन का निर्माण स्ट्रक्चरल ड्राइंग डिजाईन N.B.C-2016 के अनुसार निर्माण कार्य मूकम्परोधी मानको पर ही किया जाना आवश्यक है। निर्माण की गुणवत्ता एवं संरचना का सम्पूर्ण दायित्व आवेदक/विकासकर्ता का होगा।
14. प्रस्तुत समूह आवास मानचित्र (कुल 160 आवासीय इकाई सुविधा जनक दुकाने एवं जिम) के निर्माण की अनुमति हेतु है, अतिरिक्त इकाइयों का निर्माण पूर्णतया निषिद्ध होगा।
15. आवेदक/विकासकर्ता द्वारा दिये गये शपथ पत्र (31AD 233817 दिनांक 19.12.2017) का अक्षरशः अनुपालन बाध्यकारी होगा।
16. निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही कराया जाय। अतिरिक्त इकाइयों का सृजन निषिद्ध होगा।
17. प्राधिकरण द्वारा लेबर सैस/उपकर की धनराशि का आगणन आवेदक/विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट पर किया गया है। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर श्रम विभाग से अनापत्ति/प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
18. स्थल पर आन्तरिक विकास कार्य प्रस्तावना के अनुसार पूर्ण करते हुए पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा, इस हेतु प्रस्तुत व्ययानुमान में कोई बढ़ोतरी होती है तो उसका भुगतान आवेदक/विकासकर्ता को वहन करना होगा।
19. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह स्वीकृति भू-स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं करती है। भू-स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा ही निस्तारित किया जा सकता है।
20. विभिन्न समय पर जारी शासनादेश व नियमों का पालन करना होगा तथा प्राधिकरण यदि कोई शुल्क आरोपित करता है तो उसे पक्ष को जमा करना होगा।
21. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
22. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है।
23. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आग्र भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
24. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
25. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
26. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार।


(मुकुन्दकेश शर्मा)
सचिव/अपर सचिव